भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2916
दिनांक 08.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के तहत संचालन और अनुरक्षण

2916. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत परियोजनाएं चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरी होने की संभावना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए कोई ठोस वित्तीय योजना है जो उक्त योजना के अंतर्गत निर्बाध जलापूर्ति प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है;
(घ) क्या सरकार देश में जेजेएम के अंतर्गत संचालन और अनुरक्षण कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है, और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने हेतु राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 05.08.2024 तक, लगभग 11.81 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 05.08.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.04 करोड़ (77.87%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी ग्रामीण परिवारों को उनकी समय-सीमा के अनुसार पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(ग) से (ङ) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली के उचित संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) के साथ दीर्घावधिक निरंतरता सुनिश्चित करने पर बल दिया जा रहा है। सामुदायिक सहभागिता और जन भागीदारी जेजेएम के मुख्य सिद्धांत होने के कारण यह परिकल्पना की गई है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी की गई स्कीमों को संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समितियों को सौंप दिया जाएगा।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक ऐसी व्यापक संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) नीति लागू करने की सलाह दी गई है जिसमें ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी को योजनाएं सौंपने, उन्हें उपयोगकर्ता प्रभार लगाने के लिए सशक्त बनाने, उपयोगकर्ता प्रभारों की वसूली के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को नियुक्त करने और ओ एंड एम करने तथा संचालन एवं रखरखाव का पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल हों।

यह भी सलाह दी गई है कि 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदान के अंतर्गत निधियों का उपयोग योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए किया जाए। कमी के मामले में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करेंगे कि जेजेएम के तहत सृजित सभी परिसंपत्तियों का रखरखाव उचित रूप से किया जाए।

*****